The Government of Kerala had demanded in the beginning Rs. 202 crores from the Centre. After realistic estimate of the extent of damage, the Government has now demanded Rs. 341 crores to meet the drought situation.

Therefore, I would request the Government to consider the request of the Government of Kerala sympathetically and sanction the amount asked for immediately,

(viii) Penalty being charged for affixing photographs on the driving licences in Delhi during the extended period.

श्री राकेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, दिल्ली में मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस पर चालक का फोटो लगाना आवश्यक कर दिया गया था और सरकार द्वारा 31 मार्च, 1983 तक सभी लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर विभाग द्वारा फोटो लगवाने की छूट थी।

31 मार्च, 1983 को मैंने सदन में यह प्वाइट उठाया था कि दिल्ली में 6 लाख लोगों को अपने लाइसेंस पर फोटो लगवाकर विभाग से स्टैम्प लगवानी है, लेकिन अभी तक 17 हजार लोगों ने ही अपने लाइसेंस पर फोटो लगवाई है, इस लिए लाइसेंस पर फोटो लगवाने की तिथि को आगे बढ़ाया जाये वरना लोग पकड़े जायेंगे और झगड़े होगें।

यह खुशी की बात है कि अगले दिन 1 अप्रैल, 1983 को समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला कि यह तिथि 2 मास के लिये और बढ़ा दी गई है। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बढ़ी हुई 2 महीने की अवधि में जो लोग अपने लाइसेंस पर फोटो लगवाने के लिये विभाग में जाते हैं, उन को पेनल्टी के रूप में 25,30 रुपये वहां जमा कराने होते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब यह तिथि 2 महीने के लिये बढ़ा दी गई हैं तो फिर लोगों से जुर्माने के रूप में भारी रकम क्यों वसूल की जा रही है अगर लोगों से पैनल्टी ही लेनी थी तो इस अवधि को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ ?

क्या सरकार यह पैनल्टी बंद करेगी और जिन लोगों से रुपया वसूल किया गया है, उनको आगे रिफंड करेगी या रोड टैक्स में एडजस्ट करेगी ?

मेरा निवेदन है कि क्योंकि बहुत लोगों को फोटो लाइसेंस पर लगवाने अभी बाकी हैं, विभाग में बहुत भीड़ होती है, लोगों का बड़ा टाइम खराब है, क्या सरकार एक बार ही इस अवधि को 6 महीने के लिये और बढ़ाने का निर्णय करेगी, जिससे लोगों को सुविधा हो जाये और विभाग में अन्यथा भीड़ न हो ?

(ix) Need to establish molasses-based industries as Khalilabad in U.P.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपना बयान पढ़ रहा हूं :

1971 में सौभाग्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो जिले बस्ती और बलिया को औद्योगिक दृष्टिकोण से केन्द्र द्वारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया।

सन् 1980 में पुन: बस्ती और बलिया जनपद औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ इलाका घोषित किया गया। प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्राथमिकता देने का संकल्प किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खलीलाबाद जनपद बस्ती को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित किया है और वहां जनता को यह विश्वास दिलाया है कि खलीलाबाद जनपद बस्ती में कुछ बड़े उद्योग लगेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने खलीलाबाद में कई हजार एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने का नोटिस भी दे दिया है। खलीलाबाद